क्रम-संख्या—189(क—2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 28 अगस्त, 2018
भाद्रपद 6, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग—3

संख्या 279 / 65-3-2018-40-2018
लखनऊ, 28 अगस्त, 2018

अधिसूचना

सा0प०नि0—86

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 5 के साथ पठित दिव्यागजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 सन् 2016) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल,—

(क) दिव्यांगजन के, उसकी ओर से विधिक रूप से वाध्यकारी विनिश्चय करने के निमित्त, सीमित सरक्षक की सहायता प्रदान करने हेतु सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट को, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करते हैं। सीमित सरक्षक की सहायता प्रदान करने के दौरान सक्षम प्राधिकारी को उत्तर प्रदेश दिव्यागजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 5 के उपबन्धो के अधीन अधिकथित प्रक्रियाओ का अनुसरण करना होगा;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमित संरक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में किये गये किसी विनिश्चय के सापेक्ष की गयी अपील की सुनवाई करने के लिए सम्बन्धित मंडल के मंडलायुक्त को अपील प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,
महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव।

370 RPH divyangjan-anu-3- 2018 data-7 d